पपनकलां परियोजना के विकास में विलम्ब

503. **श्री राम जेठमलानी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पपनकलां परियोजना के लिए अधिगृहीत लगभग 4200 एकड़ भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण को 1986 में दे दी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना पर 1987 के वर्ष में कार्य आरम्भ किया गया था तथा तदनुरूपी विकास योजना को 1988 में मंजूरी दे दी गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उसके बाद इस परियोजना को दिल्ली अरबन आर्टस कमीशन के पास इनकी स्वीकृति के लिए भेज दिया गया था; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित रोहिणी, वसन्त कुंज अथवा सरिता विहार जैसी पूर्व की परियोजनाओं को भी दिल्ली अरबन आर्टस कमीशन के पास जांच के लिए भेजा गया था, यदि नहीं, तो इस परियोजना विशेष को उनकी जांच के लिए भेजे जाने के क्या कारण हैं तथा जांच पर खर्च किये जाने के लिए कितना बजट प्राक्कलन निर्धारित किया गया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) इस परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण दिल्ली प्रशासन ने किया था तथा 1986 में इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दिया था। परियोजना तैयार करने का कार्य 1987 में आरम्भ किया गया था और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसे 1988 में अनुमोदित किया। इसके पश्चात इसे जनवरी, 1989 में दिल्ली नगर कला आयोग को प्रस्तुत किया गया। इसी बीच, सामान्यतः पहले से ही निर्मित क्षेत्र से घिरे छोटे पृथक पाकेटों पर प्रारम्भिक विकास कार्य शुरू किया गया था।

(घ) रोहिणी योजना दिल्ली नगर कला आयोग को प्रस्तुत की गई थी और पपनकलां परियोजना भी स्वरूप और विस्तार में तुलनीय होने के कारण दिल्ली नगर कला आयोग को भेजी गई थी। 1989-90 के संशोधित अनुमान में इस परियोजना के लिए 412 लाख रुपये का बजट प्रावधान है जिसमें परियोजना तैयार करने, संशोधन आदि का व्यय भी शामिल

कीटनाशक औषधियों के प्रयोग संबंधी नीति

504. **श्री राम जेठमलानी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फ़रवरी, 1990 के स्टेट्समैन में 'पालिसी फ़ार पेस्टीसाइड्स यूज अर्जड" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में कीटनाशक औषधियों के बढ़ते हुए उपयोग के कारण उनके होने वाले प्रभावों का मूल्यांकन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा कीटनाशक औषधियों के उपयोग के बारे में सरकार की विस्तृत योजना क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) (1) कीटनाशी दवाओं के उपयोग के स्तर समूचे देश में एक समान नहीं हैं।

(2) कीटनाशी दवाओं का जरूरत के आधार पर प्रयोग करने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

(3) सरकार द्वारा समर्थित वनस्पति रक्षण नीति का विशेष बल समेकित कीटप्रबंध पर है। इस नीति में कीट और रोग प्रबंध के लिए उत्पादन यंत्र और जैवीय तकनीकों का समेकन निहित है। इस नीति के अपनाए जाने से कीटनाशी दवाओं का विवेकपूर्ण और जरूरत पर आधारित प्रयोग होता है।

बीज-आयात नीति में परिवर्तन

505. **श्री राम जेठमलानी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि अनुसंधान सेवा वैज्ञानिक मंच सहित अनेक कृषि विशेषज्ञों ने वर्तमान बीज